

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2025 के एजेण्डा संख्या 06 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में कौंसिल की भावी परीक्षाओं में पुर्नमूल्याकन की सुविधा मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों में पूर्ववत जारी रहेगी परन्तु पूरक परीक्षा में कुल प्रश्न पत्रों के 50 प्रतिशत प्रश्न पत्रों के लिये ही पुर्नमुल्याकन सुविधा रहेगी। पुर्नमुल्याकन के संबंध में विस्तृत नियम/प्रक्रिया/दिशा निर्देश परीक्षा अनुभाग स्तर पर पृथक से तैयार कर जारी किए जाएंगे। उक्त आदेश जीबी बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगे।


(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:—प.06(20)आरएनसी / जीबी बैठक / 2025 / 1947

दिनांक : 23/07/2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
2. लेखा/शैक्षणिक अनुभाग, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. समस्त GNMT/ANMT राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।


रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर